# सरकारी जमीन कब्जे के आरोप पर दायर जनहित याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में दायर जनहित याचिका (पीआइएल) को खारिज कर दिया है। प्रबुद्ध नागरिक मंच द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया था कि दुर्ग जिला गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, राजनांदगांव ने 4.74 एकड़ आवंटित जमीन से अधिक लगभग 9 एकड़ अतिरिक्त सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसे बेच डाला है।

साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि समिति ने भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन करते हुए बड़े प्लाट आवंटित किए हैं। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की खंडपीठ ने 25 अप्रैल 2025 को इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की मंशा और पात्रता (लोकस स्टैंडी) स्पष्ट नहीं है और याचिका को जनहित की जगह निजी स्वार्थ से प्रेरित माना जा सकता है।

हाई कोर्ट ● फाइल फोटो

## ये है पूरा मामला

याचिका में आरोप लगाया गया कि दुर्ग जिले की एक सहकारी समिति ने राज्य सरकार से मिली 4.74 एकड़ जमीन की शर्तों का उल्लंघन करते हुए लगभग 9 एकड़ अतिरिक्त जमीन पर कब्जा कर लिया और उसे अवैध रूप से बेच दिया। इतना ही नहीं, 3000 वर्गफुट के प्लाट की जगह प्रभावशाली लोगों को 7600 से 9000 वर्गफुट के प्लाट आवंटित कर दिए गए। समिति द्वारा ज़मीन के लिए पूरा प्रीमियम और भूभाटक कर भी अदा नहीं किया गया। शिकायत के बाद कलेक्टर दुर्ग ने जांच समिति गठित की, जिसकी रिपोर्ट में भी जमीन पर कब्जा होना प्रमाणित बताया गया। बावजूद इसके, राज्य सरकार ने समिति की लीज का नवीनीकरण कर दिया।

## याचिकाकर्ता ने क्या मांगा था

प्रबुद्ध नागरिक मंच ने याचिका के माध्यम से मांग की थी कि, समिति को दी गई लीज रद्द की जाए। अवैध कब्जे की जमीन सरकार के कब्जे में ली जाए। संबंधित समिति पर आपराधिक कार्रवाई की जाए।

## सरकार ने यह कहा

राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता शशांक ठाकुर ने आपत्ति उठाई कि याचिकाकर्ता के पास इस तरह की याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है। यदि याचिकाकर्ता को किसी समिति के अवैध कार्यों से आपत्ति है तो वह सक्षम अधिकारी के समक्ष निजी शिकायत दर्ज करवा सकता है।

## इसलिए खारिज की याचिका

कोर्ट ने कहा कि, याचिकाकर्ता ने अपनी पृष्ठभूमि या योग्यता स्पष्ट नहीं की है। सिर्फ एक संगठन द्वारा अधिकृत होने का हवाला दिया गया है, लेकिन स्वयं किसी प्रत्यक्ष नुकसान या गहरी जनहित की बात प्रमाणित नहीं की गई।

SCAN AnyScanner